न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 20 / 2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025 / 32

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना–कुचमान।		श्री ललित कुम्पावत पुत्र श्री नरेन्द्र कुम्पावत, मैसर्स जंवरीमल द्वारका प्रसाद (फिलिंग स्टेशन) चुंगी चौकी, डीडवाना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए, पेट्रोलियम अधिनियम 1934 व Motor spirit and high Speed diesel (Regulation Of Supply distribution & prevention of malpractices) Order 2005 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।

उपस्थितः–
1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक श्री शिवराम।
2. अप्रार्थी स्वयं।

–:आदेशः– दिनांक : 04.03.2025

उपरोक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6 ए, पेट्रोलयिम अधिनियम 1934 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

दिनांक 17.02.2025 को पेट्रोल पम्प के निरीक्षण के दौरान भी उपेन्द्र ढ़ाका जिला रसद अधिकारी डीडवाना–कुचामन, श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक मकराना व श्री आमेन्द्र कुमार प्रवर्तन निरीक्षक कुचामन सिटी की टीम मैसर्स जंवरीमल द्वारका प्रसाद (फिलिंग स्टेशन) चुंगी चौकी डीडवाना पर पहंचे। मौके पर मैसर्स ललित कुम्पावत पुत्र श्री नरेन्द्र कुम्पावत उपस्थित मिलें। मौके पर श्री ललित कुम्पावत मोटर स्पिरिट (MS) का प्लास्टिक जरीकेन में भरकर विक्रय करते हुए पाये गये जिसकी भण्डारण क्षमता 50 लीटर जिसमें फिलिंग स्टेशन के डिस्पेंशिग युनिट Serial No. 1827253 के नोजल संख्या 07 से कुल 45 लीटर मोटर स्पिरिट (MS) भरकर विक्रय किया जाना पाया गया। मोटर स्पिरिट (MS) Highly inflammable होने के कारण हादसा होने का अन्देशा रहता है। अतः श्री ललित कुम्पावत से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किये गये। अपने बयानों में श्री ललित कुम्पावत ने बताया कि इनके द्वारा डीडवाना के एक दुपहिया वाहनों में विक्रेता को दुपहिया वाहन में भरने के लिए एक प्लास्टिक जरीकेन में 45 लीटर मोटर स्पिरिट भरकर विक्रय किया गया है। इस प्रकार श्री ललित कुम्पावत द्वारा पेट्रोल अधिनियम 1934 और Motor Spirit and high Speed diesel (Regulation of Supply distribution & prevention of malpractices) Order 2005 का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने पर मौके पर प्लास्टिक जरीकेन में भरे हुए 45 लीटर मोटर स्पिरिट को जब्त सरकार कर अवैध पाये गये 45 लीटर (MS) को प्रकरण का निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु मैसर्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.12 13:51:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

मलिक फिलिंग स्टेशन IOCL मेगा हाईवे बाइपास, डीडवाना के प्रबंन्धक श्री अब्दुल अजीज पुत्र श्री अब्दुल मलिक की सुपुर्दगी में दिया जाकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये। इस प्रकार श्री ललित कुम्पावत का यह कृत्य पेट्रोलियम अधिनियम 1934 व Motor Spirit and high Speed disesl (Regulation Of Supply distribution & prevention of malpractices) Order 2005 जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मौके पर प्लास्टिक जरीकेन में भरे हुए 45 लीटर मोटर स्पिरिट को जब्त कर प्रकरण को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्री ललित कुम्पावत द्वारा मोटर स्पिरिट (MS) का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इनके पास मोटर स्पिरिट (MS) के भण्डारण व व्यापारिक उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये गये। इस पर मौके पर पाये गये 45 लीटर मोटर स्पिरिट को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया जाकर कब्जे में लिये गये। जब्त सुदा 45 लीटर मोटर स्पिरिट को मैसर्स मलिक फिलिंग स्टेशन IOCL मेगा हाईवे बाइपास, डीडवाना के प्रबंन्धक श्री अब्दुल अजीज पुत्र श्री अब्दुल मलिक को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि दुपहिया वाहन विक्रेता दुपहिया वाहनों में विक्रेता को दुपहिया वाहन में भरने के लिए एक प्लास्टिक जरीकेन में 45 लीटर मोटर स्पिरिट भरकर विक्रय किया गया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 45 लीटर मोटर स्पिरिट को प्लास्टिक जरीकेन में भरना पाए गए। जांच के समय श्री ललित कुम्पावत के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर 45 लीटर मोटर स्पिरिट का दुरूपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर 45 लीटर मोटर स्पिरिट को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। 45 लीटर मोटर स्पिरिट के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.12 13:51:52 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 45 लीटर मोटर स्पिरिट का समपहरण (Confisacation) किये जाने का आदेश

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 45 लीटर मोटर स्पिरिट का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.12 13:51:52 IST
Reason: SelfAttested